प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / 368/2025

...ख ...कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2/26	वकील प्रार्थी उप०। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रा० वास्ते आदेश दि० 12/2/26 को पेश हो। [signature]	
12/2/26	वकील प्रार्थी उप०। प्रा० पत्र प्रार्थी का अस्वीकार कर खारिज की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
368/प्रा0पत्र/2025	27.05.2025	12.02.2026

1. नंदकिशोर पुत्र श्री भवानीशंकर, आयु
2. भगवान मीणा पुत्र श्री भावना आयु
3. महावीर मीणा पुत्र श्री भावना मीणा आयु
4. पिंटूलाल मीणा पुत्र श्री दुर्गालाल मीणा, आयु
5. रमेश कुमार पुत्र श्री दुर्गालाल, आयु वर्ष, निवासीगण ग्राम बल्लोप, तह. तालेड़ा, जिला बून्दी राज,

प्रार्थीगण

बनाम

मोहनलाल मीणा पुत्र श्री देवीराम मीणा निवासी बल्लोप, जिला बुन्दी राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री दीपक गौरस
अधिवक्ता अप्रार्थीगण :-

- : : निर्णय : : -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही आराजी खसरा नंबर 49 कुल 2.4605 हैक्टे0 वाके ग्राम जाखमूण्ड, पटवार हल्का जाखमूण्ड, भू0अ.नि.क्ष. बल्लोप, तह. तालेड़ा, जिला बून्दी राज0 खाता संख्या 342 पुराना 284 पर कब्जे काश्त है तथा उक्त आराजी को प्रार्थीगण द्वारा ही जूपाई की जा रही है। प्रार्थीगण के दादा श्री कालूलाल जी द्वारा उक्त आराजी के खातेदार स्व. श्री राव सूरजमल जी जो कि उनकी एकमात्र मिल्कीयती सम्पत्ति थी से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल अदा कर उनके जीवनकाल में प्रार्थी के पूर्वजो द्वारा खरीद किया गया था, तथा तभी से उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रार्थीगण के कब्जे चली आ रही है तथा प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी पर नियमित रुप से काश्त की जा रही है, इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा संदत्त लगान की गत कई वर्षो से अधिक की समयावधि की रसीदे प्रार्थीगण के पास सुरक्षित है, तथा प्रार्थीगण गत कई वर्षो से अधिक की समयावधि से उक्त आराजी पर की जाने वाली काश्त का राजकोष में लगान अदा किया जा रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा अपने जीवनकाल में स्व. श्री राव सूरजमल जी से भूरुपांतरण के संबंध में कथन किया जाता रहा, किन्तु राव सूरजमल जी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त आराजी का नामान्तरण प्रार्थीगण के दादाजी के पक्ष में नही किया गया तथा उनकी मृत्यु पश्चात उनके कोई विधिक उत्तराधिकारी शेष न होने के कारण उक्त नामान्तरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही हो पाया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी के एकमात्र मालिक व स्वामी है, तथा प्रार्थीगण का नाम भू अभिलेख पर न चढ़ने के कारण प्रार्थीगण को आये दिन वादग्रस्त परिसर से बेदखल करने हेतु आमादा है। जबकि वादग्रस्त आराजी पर आज भी वर्तमान में पूर्ण कब्जा प्रार्थीगण का है तथा प्रतिपक्षी बिना किसी युक्तियुक्त आधार पर प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर अपना अधिकार प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थीगण के पूर्वज उक्त आराजी के खरीददार है तथा उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण को खरीद से सभी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है, प्रार्थी उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार निरंतर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी का उक्त भूमि पर सुस्थापित शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है और कानूनन किसी भी भूमि पर किसी सुस्थापित रुप से काबिज व विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना बेदखल नही किया जा सकता। कानूनन यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करना चाहता है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व विधि में कब्जा प्राप्त किये जाने के प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना व्यक्ति को कानून हाथ में लेकर व जबरदस्ती व ताकत के बल पर बेदखल नही कर सकता। प्रार्थी उक्त वाद विषयक आराजी पर बहैसियत खरीददार ही कब्जे काश्त है, प्रार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमी नही है, ना ही प्रार्थी उक्त भूमि पर गलत, गैरकानूनी रुप से काबिज है, किन्तु फिर भी प्रतिपक्षीगण उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु व प्रार्थी से कब्जा प्राप्त करने हेतु कुछ भूमाफियाओ के साथ मिलीभगत कर जबरदस्ती व ताकत के बल पर और कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर

शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व बेदखल करने पर आमादा हो रहे है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रतिपक्षी दिनांक 15.01.2025 को कुछ असामाजिक तत्वो को लेकर मौके पर आया और कहने लगा कि प्रार्थीगण उक्त आराजी को खाली कर कब्जा प्रतिपक्षी को सुपुर्द कर दे, क्योंकि उक्त आराजी प्रतिपक्षी के नाम है, प्रतिपक्षी के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिपक्षी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि प्रतिपक्षीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, जबरदस्ती व ताकत के बल पर उक्त वाद विषयक भूमि पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे, और ना ही किसी प्रकार से बेदखल करने का प्रयास करे। प्रार्थना पत्र का कारण प्रतिपक्षी के दिनांक 15.01.25 को कुछ भूमाफियाओ व्यक्तियों के साथ आकर प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करने तथा जबरदस्ती व ताकत के बल पर प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है । यदि अप्रार्थी अपने उक्त कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, जिसकी पूर्ति भविष्य में नही की जा सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला वाद इस बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिपक्षी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरदस्ती व ताकत के बल पर उक्त वाद विषयक भूमि खसरा नंबर 49 ग्राम जाखमूण्ड, पटवार हल्का जाखमूण्ड, भूअ.नि.क्षे. बल्लोप, तह. तालेड़ा, जिला बून्दी कुल 2.4605 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे तथा प्रकरण की यथास्थिति बनाये रखे, और ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार से बेदखल करने का प्रयास करे। ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण उपस्थित हुये किन्तु बार बार जवाब का अवसर देने के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण दिनांक 07.01.2026 को बन्द किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। दौराने बहस वकील अप्रार्थी अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद विषयक भूमि खसरा नंबर 49 रकबा 2.4605 हैक्टेयर ग्राम जाखमूण्ड, पटवार हल्का जाखमूण्ड, भूअ.नि. क्षे. बल्लोप, तह. तालेड़ा, जिला बून्दी के खातेदार श्री राव सूरजमल जी स्थान तुलसी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि स्व0 श्री राव सूरजमल जी जो की उनकी एकमात्र मिल्कीयती सम्पति थी से सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल अदा कर उनके जीवनकाल में प्रार्थी के पूर्वजो द्वारा खरीद किया गया था तथा तभी से उक्त सम्पूर्ण आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा श्री राव सूरजमल जी के जीवनकाल में नामान्तकरण खुलवाने का कथन किया किन्तु नामान्तकरण नही किया गया तथा उनकी मृत्यु के पश्चात विधिक उत्तराधिकारी शेष न होने के कारण नामान्तकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नही हो पाया। वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही होने से अप्रार्थी उक्त आराजी पर अपना अधिकार प्रस्तुत कर रहा है। अप्रार्थी ताकत के बल पर और कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने व बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद इस बात की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिपक्षी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जबरदस्ती व ताकत के बल पर उक्त वाद विषयक भूमि खसरा नंबर 49 ग्राम जाखमूण्ड, पटवार हल्का जाखमूण्ड, भूअ.नि.क्षे. बल्लोप, तह. तालेड़ा, जिला बून्दी कुल 2.4605 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे तथा प्रकरण की यथास्थिति बनाये रखे, और ना ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार से बेदखल करने का प्रयास करे। ऐसा ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी के खातेदार श्री राव सूरजमल जी है एवं उक्त भूमि का पूर्व रिकार्ड रशीद जमा खजाना का अवलोकन करने पर यह भूमि डोहली की भूमि होना प्रमाणित है। प्रार्थी ने अपने वाद पत्र के कथनों में अपूर्ण जानकारी अंकित कर उक्त भूमि श्री राव सूरजमल जी की खातेदारी की होना एवं तत्पश्चात विधिक उत्तराधिकारी नही होना बताया जबकि वाद वर्णित आराजी डोहली की भूमि होना संलग्न दस्तावेजो से प्रमाणित है। डोहली की भूमियॉ अव्यस्क मूर्तियों की खातेदारी की भूमियॉ है जिन पर किसी भी दिगर व्यक्ति का हक एवं अधिकार नही है वरन केवल मात्र डोहली की भूमि से अर्जित आय देख-रेख बाबत उपयोग उपभोग में आती है ऐसी स्थिति में वाद वर्णित आराजी पर ना तो

...वीक्षण का हक अधिकार है ना ही अप्रार्थीगण का। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी डोहली की भूमि होने से अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नंबर 49 रकबा 2.4605 हैक्टेयर ग्राम जाखमूण्ड, पटवार हल्का जाखमूण्ड, भू.अ.नि.क्षे. बल्लोप, तह. तालेड़ा, जिला बून्दी के खातेदार श्री राव सूरजमल जी स्थान तुलसी डोहली की भूमि होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा